संख्या-04/2020/616/94-1-2020-312(05)/2020

प्रेषक,

अजय कुमार अवस्थी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन|

सेवा में,

महानिरीक्षक निबंधन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ|

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 25 जून, 2020

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 के अवशेष नौ माह के लिए आय-व्ययक अनुमान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृतियां जारी किये जाने के सम्बन्ध में |

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-87/नौ-104 (मुख्यालय)/2020 दिनांक 05-06-2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अवशेष नौ माह के लिए अनुदान संख्या-91 के अंतर्गत लेखा शीर्षक 2030-स्टाम्प पंजीकरण 01 स्टाम्प न्यायिक मतदेय मद में रु० 1050.00 लाख (रु० दस करोड़ पचास लाख मात्र) एवं 02 स्टाम्प न्यायिकेत्तर मतदेय मद में रु० 11395.57 लाख (रु० एक अरब तेरह करोड़ पन्चानवे लाख सत्तावन हजार मात्र) इस प्रकार मतदेय मद में कुल धनराशि रु० 12445.57 लाख (रु० एक अरब चौबीस करोड़ पैंतालीस लाख सत्तावन हजार मात्र) जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट में विस्तृत रूप से दिया गया है, को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) उपरोक्तानुसार धनराशियों को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है| जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैन्युअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केंद्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो तो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये|

(2) विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गए व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06-06-1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये|

(3) व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय|

(4) व्यय को प्राधिकृत विनियोग की सीमा के भीतर रखे जाने के सम्बन्ध में बजट मैन्युअल में दिए गए निर्देशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-12-2011 के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

बजट मैन्युअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ़ फाइनेंसियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय व तत्काल धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय|

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020 दिनांक 24-03-2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं जिसकी प्रति विभागाध्यक्षों को पृष्ठंकित की गयी है| अतः उक्त आदेश में निहित निर्देश/प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें|

सलंग्नक: यथोक्त|

भवदीय,

(अजय कुमार अवस्थी)
विशेष सचिव|

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार |

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज|
2) प्रधान महालेखाकार (सिविल ऑडिट) प्रथम/द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज|
3) महानिरीक्षक निबंधन, उ०प्र० प्रयागराज|
4) वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज|
5) वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ०प्र० लखनऊ|
6) निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ|
7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9) गार्ड फाइल|

आज्ञा से,

(अजय कुमार अवस्थी)
विशेष सचिव|

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-04/2020/616/94-1-2020-312(05)/2020

वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुदान-91 राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 01 स्टाम्प न्यायिक 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-अधिष्ठान

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 01 स्टाम्प न्यायिक 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 अधिष्ठान	आय-व्ययक अनुमान 2020-21	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तावित धनराशि (आगामी नौ माह हेतु)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
	अनुदान संख्या-91 राजस्व लेखा 2030 स्टाम्प पंजीकरण 01 स्टाम्प न्यायिक 101 स्टाम्पों की लागत 03-न्यायिक स्टाम्प				
01	42 अन्य व्यय	500.00	500.00	375.00	
	योग 101	**500.00**	**500.00**	**375.00**	
	अनुदान संख्या-91 राजस्व लेखा 2030 स्टाम्प पंजीकरण 01 स्टाम्प न्यायिक 102 स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय 03-न्यायिक स्टाम्प				
20	42 अन्य व्यय	900.00	900.00	675.00	
	योग 102	**900.00**	**900.00**	**675.00**	
	योग 01 मतदेय	**1461.87**	**1461.87**	**1050.00**	

वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुदान-91 राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 02 स्टाम्प न्यायिकेत्तर 001-निदेशन तथा प्रशासन 03-अधिष्ठान

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण 02 स्टाम्प न्यायिकेत्तर 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 अधिष्ठान	आय-व्ययक अनुमान 2020-21	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु प्रस्तावित धनराशि (आगामी नौ माह हेतु)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	01-वेतन	70.00	70.00	52.50	
2	03-मंहगाई भत्ता	17.50	17.50	13.12	
3	04-यात्रा व्यय	0.75	0.75	0.56	
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.05	0.05	0.04	
5	06-अन्य भत्ते	0.50	0.50	0.37	
6	07-मानदेय	0.10	0.10	0.07	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7	08-कार्यालय व्यय	7.00	7.00	5.25	
8	09-विद्युत देय	1.00	1.00	0.75	
9	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	2.50	2.50	1.87	
10	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00	5.00	3.75	
11	13-टेलीफोन पर व्यय	0.50	0.50	0.37	
12	16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3.50	3.50	2.62	
13	19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन पर व्यय	0.05	0.05	0.04	
14	42-अन्य व्यय (मतदेय)	0.01	0.01	0.01	
15	42-अन्य व्यय (भारित)	---	---	---	
16	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	0.15	0.15	0.11	
17	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.40	0.40	0.30	
18	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.50	0.50	0.37	
19	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.50	0.50	0.37	
20	49-चिकित्सा व्यय	1.00	1.00	0.75	
21	51-वर्दी व्यय	0.15	0.15	0.11	
22	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	---	---	---	
23	55-मकान किराया भत्ता	3.50	3.50	2.62	
24	56-नगर प्रतिकर भत्ता	2.00	2.00	1.50	
25	58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2.50	2.50	1.87	
	योग 01 मतदेय	**119.16**	**119.16**	**89.32**	
	भारित	**---**	**---**		
26	अनुदान संख्या-91 राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण, 02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर, 101-स्टाम्पों की लागत, 03-गैर अदालती स्टाम्प				
	42-अन्य व्यय	9000.00	9000.00	6750.00	
	योग 101	**9000.00**	**9000.00**	**6750.00**	
27	अनुदान संख्या-91 राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण, 02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर 102-स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय, 03-गैर अदालती स्टाम्प				
	42-अन्य व्यय	6000.00	6000.00	4500.00	

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	योग 102	**6000.00**	**6000.00**	**4500.00**	
28	अनुदान संख्या-91 राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण, 02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर, 800-अन्य व्यय, 03-निवेश प्रमाण पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क का उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि समिति को संक्रमण				
	42-अन्य व्यय	70.00	70.00	52.50	
	योग 800	**70.00**	**70.00**	**52.50**	
29	अनुदान संख्या-91 राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण, 02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर, 800-अन्य व्यय, 04-वाटरमार्क पेपर की विक्री पर व्यय				
	42-अन्य व्यय	5.00	5.00	3.75	
	योग 800	**5.00**	**5.00**	**3.75**	
	योग 02 मतदेय	**15194.16**	**15194.16**	**11395.57**	
	भारित	---	---	---	
	कुल योग 01 स्टाम्प न्यायिक 02 स्टाम्प न्यायिकेत्तर- रु० 12445.57 लाख (रु० एक अरब चौबीस करोड़ पैंतालीस लाख सत्तावन हजार मात्र)				
	भारित				
	कुल योग 01 स्टाम्प न्यायिक 02 स्टाम्प न्यायिकेत्तर (आगामी नौ माह हेतु)- रु० 12445.57 लाख (रु० एक अरब चौबीस करोड़ पैंतालीस लाख सत्तावन हजार मात्र)				

(अजय कुमार अवस्थी)
विशेष सचिव|

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।